न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–82/2007 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. गिर्राज पुत्र श्री बृजलाल
2. हरीराम पुत्र श्री बृजलाल
3. जगदीश पुत्र श्री बृजलाल जाति अहीरान निवासीयान ग्राम रामबास तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राज0।

.... अपीलांट

बनाम

1. हरचन्द पुत्र कन्हैया लाल मृतक
1/1 श्रीमती बत्तन पत्नी स्व0 श्री हरचन्द
1/2 श्रीमती सरोज उर्फ इन्द्रा पत्नी स्व0 श्री गोपाल पुत्रवधू स्व0 श्री हरचंद
1/3 नवीन पुत्र स्व0 श्री गोपाल पौत्र स्व0 श्री हरचंद उम्र करीब 16 साल नाबालिग जरिये सरपरस्त श्रीमती सरोज माताखुद
1/4 अमित पुत्र स्व0 श्री गोपाल पौत्र स्व0 श्री हरचंद उम्र करीब 14 साल नाबालिग जरिये सरपरस्त श्रीमती सरोज माताखुद जाति अहीरान निवासी 1 घ 20 मनुमार्ग हाउसिंग बोर्ड अलवर।
1/5 रामा पुत्री हरचंद पत्नी लोकेश निवासी घोड़ा फेर का चौराहा अलवर
1/6 मधु उर्फ मुथरी पुत्री हरचंद पत्नी लक्ष्मीनारायण निवासी नयागांव माचाडी तहसील राजगढ जिला अलवर
1/7 हरदेई उर्फ आशा पुत्री हरचंद पत्नी रमेश निवासी ग्राम पूठी तहसील रामगढ हाल मालवीय नगर अलवर
1/8 मुकुट पुत्री हरचंद पत्नी ओमप्रकाश निवासी रामगढ सरेटा रोड रेल्वे फाटक के पास अलवर
1/9 पिस्ता उर्फ राजवती पुत्री हरचंद पत्नी लाल सिंह निवासी घीलावटी तहसील कामां जिला भरतपुर
2. बलबीर पुत्र श्री कन्हैया जाति अहीर निवासी ग्राम रामबास हाल निवासी 1 घ 20 मनुमार्ग हाउसिंग बोर्ड अलवर
3. रामजीलाल पुत्र लीला मृतक
3/1 दुलारी पत्नी रामजीलाल जाति अहीर निवासी रामबास तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर
3/2 प्रकाश पुत्र रामजीलाल जाति अहीर निवासी रामबास हाल विवेकानन्द कॉलोनी सेक्टर नंबर 4 बृद्धाश्रम के सामने अलवर

82/

3/3 ओमप्रकाश पुत्र रामजीलाल
3/4 सूरजी उर्फ सरजीत पुत्र रामजीलाल
3/5 बिजेन्द्र यादव पुत्र रामजीलाल निवासीयान रामबास तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर।
4. जगदीश पुत्र लीला मृतक
4/1 समला पत्नी स्व0 जगदीश उम्र करीब 45 साल
4/2 दिनेश पुत्र स्व0 जगदीश उम्र करीब 26 साल
4/3 योगेश पुत्र स्व0 जगदीश उम्र करीब 24 साल
4/4 उषा पुत्री जगदीश जाति अहीरान निवासीयान ग्राम रामबास तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर
5. परमा पुत्र श्री भोलू जाति अहीर निवासी ग्राम रामबास तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर
6. उपपंजीयक महोदय तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर।

.... असल प्रति. रेस्पोडेन्ट

7. सुरजीत पुत्र श्री रामजीलाल
8. रामजीलाल पुत्र किरोडी जाति अहीरान निवासीयान ग्राम रामबास तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर
9. सुरेश पुत्र श्री किरोडी मृतक
9/1 उर्मिला पत्नी स्व0 श्री सुरेश
9/2 पूनम पुत्री स्व0 सुरेश उम्र करीब 14 साल नाबालिग जरिये सरपरस्त उर्मिला पत्नी स्व0 सुरेश माता खुद जाति अहीर निवासीयान ग्राम रामबास तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर
10. मु. रामदेई बेवा नवल किशोर
11. महेश पुत्र नवलकिशोर मृतक
11/1 लक्ष्मी पत्नी स्व0 महेश
11/2 विष्णु पुत्र स्व0 महेश उम्र करीब 12 साल नाबालिग
11/3 कल्लू (सुनील) पुत्र स्व0 महेश उम्र करीब 9 साल नाबालिग जरिये सरपरस्त माता लक्ष्मी पत्नी महेश माता खुद निवासीयान कृष्णा नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी नंगला लोडारोड भरतपुर
12. कालू पुत्र नन्दन
13. जगदीश पुत्र सुन्दरलाल
14. सुन्दरलाल पुत्र खवाजू मृतक
14/1 तेजपाल पुत्र स्व0 सुन्दरलाल
14/2 गोपाल पुत्र स्व0 सुन्दर लाल जाति अहीरान निवासीयान ग्राम रामबास तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर
15. भीम सिंह पुत्र काना
16. फूलचन्द पुत्र भीम सिंह
17. गोविन्दराम पुत्र भीम सिंह
18. दुलीचंद पुत्र किशनलाल
19. महावीर पुत्र रूपनारायण

20. रामजीलाल पुत्र रूपनारायण
21 जगरूप पुत्र रूपनारायण
22. हरीकिशन पुत्र श्योराम
23. राजेश पुत्र श्योराम
24. यादराम पुत्र श्योराम
25. परमा पुत्र रतन लाल
26. देवीसिंह पुत्र रतन लाल
27. नेमी पुत्र रतन लाल
28. तेजसिंह पुत्र बृजमोहन
29. प्रभू पुत्र बृजमोहन
30. भीमसिंह पुत्र बृजमोहन
31. करण पुत्र बृजमोहन
32. कंवरपाल पुत्र रामचरण
33. प्रेम पुत्र बृजलाल जाति अहीर निवासीयान ग्राम रामबास तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर मृतक
33/1 श्रीमती पूनम पुत्री स्व0 श्री प्रेम पत्नी श्री देशराम जाति अहीर निवासी ग्राम पोस्ट भूपसेडा तहसील बानसूर जिला अलवर
34. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला अलवर बहैसियत लैण्ड होल्डर

................तरतीबी रेस्पोडेण्ट

उपस्थित :–

1. श्री सोहनलाल शर्मा, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री श्योराम सिंह नरूका, अभिभाषक रेस्पो0 ।

अपील सं0:–83/2007 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. गिर्राज पुत्र श्री बृजलाल
2. हरीराम पुत्र श्री बृजलाल
3. जगदीश पुत्र श्री बृजलाल जाति अहीरान निवासीयान ग्राम रामबास तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राज0।

.... अपीलांट

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र लीला मृतक
1/1 दुलारी पत्नी रामजीलाल जाति अहीर निवासी रामबास तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर

65

1/2 प्रकाश पुत्र रामजीलाल जाति अहीर निवासी रामबास हाल विवेकानन्द कॉलोनी सेक्टर नंबर 4 बृद्धाश्रम के सामने अलवर
1/3 ओमप्रकाश पुत्र रामजीलाल
1/4 सूरजी उर्फ सरजीत पुत्र रामजीलाल
1/5 बृजेन्द्र यादव पुत्र रामजीलाल निवासीयान रामबास तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर
2. जगदीश पुत्र लीला मृतक
2/1 समला पत्नी स्व0 जगदीश उम्र करीब 45 साल
2/2 दिनेश पुत्र स्व0 जगदीश उम्र करीब 26 साल
2/3 योगेश पुत्र स्व0 जगदीश उम्र करीब 24 साल
2/4 उषा पुत्री जगदीश जाति अहीरान निवासीयान ग्राम रामबास तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर
3. हरचन्द पुत्र कन्हैयालाल (मृतक)
3/1 श्रीमती बत्तन पत्नी स्व0 श्री हरचन्द
3/2 श्रीमती सरोज उर्फ इन्द्रा पत्नी स्व0 श्री गोपाल पुत्रवधू स्व0 श्री हरचंद
3/3 नवीन पुत्र स्व0 श्री गोपाल पौत्र स्व0 श्री हरचंद उम्र करीब 16 साल नाबालिग जरिये सरपरस्त श्रीमती सरोज माताखुद
3/4 अमित पुत्र स्व0 श्री गोपाल पौत्र स्व0 श्री हरचंद उम्र करीब 14 साल नाबालिग जरिये सरपरस्त श्रीमती सरोज माताखुद जाति अहीरान निवासी 1 घ 20 मनुमार्ग हाउसिंग बोर्ड अलवर।
3/5 रामा पुत्री हरचंद पत्नी लोकेश निवासी घोड़ा फेर का चौराहा अलवर
6/6 मधु उर्फ मुथरी पुत्री हरचंद पत्नी लक्ष्मीनारायण निवासी नयागांव माचाडी तहसील राजगढ जिला अलवर
3/7 हरदेई उर्फ आशा पुत्री हरचंद पत्नी रमेश निवासी ग्राम पूठी तहसील रामगढ हाल मालवीय नगर अलवर
3/8 मुकुट पुत्री हरचंद पत्नी ओमप्रकाश निवासी रामगढ सरेटा रोड रेल्वे फाटक के पास अलवर
3/9 पिस्ता उर्फ राजवती पुत्री हरचंद पत्नी लाल सिंह निवासी घीलावटी तहसील कामां जिला भरतपुर
4. बलबीर पुत्र कन्हैया जाति अहीर निवासी ग्राम रामबास हाल निवासी 1 घ 20 मनुमार्ग हाउसिंग बोर्ड अलवर
5. परमा पुत्र भोलू
6. कुशाल चंद पुत्र श्री भोलू
7. महेन्द्र पुत्र श्री भोलू जाति अहीरान निवासीयान ग्राम रामबास तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर।

................वादीगण रेस्पोडेण्ट

उपस्थित :–

1. श्री सोहनलाल शर्मा, अभिभाषक अपीलांट।

2. श्री श्योराम सिंह नरूका, अभिभाषक रेस्पो0।

::: निर्णय :::

दिनांक :–13.03.2020

यह अपील धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.10.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। रेस्पोडेण्ट को जरिये समन तलब किया गया। दोनों अपीलों के पक्षकारान एवं तथ्य समान होने के कारण निर्णय एक साथ किया जा रहा है।

प्रथम प्रकरण संख्या 1/18 बउनवान गिर्राजप्रसाद पुत्र बृजलाल जाति अहीर निवासी रामबास एवं अन्य बनाम हरचन्द पुत्र कन्हैयालाल जाति अहीर निवासी रामबास एवं अन्य में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि साबिक आराजी खसरा नं0 244 रकबा एक बीघा 6 बीस्वा, 245 रकबा एक बीघा 6 बीस्वा, 449 मिन रकबा 1 बिस्वा, 450 रकबा 6 बिस्वा, 451 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, 440 मिन रकबा 16 बिस्वा, 438 मिन रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, 440 मिन रकबा 2 बिस्वा, 438 मिन रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, 439 रकबा 2 बिस्वा, 439/1 रकबा 3 बिस्वा, 436 रकबा 13 बिस्वा, 437 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम रामबास में स्थित है जिसके हाल खसरा नं0 462 मिन रकबा एक बीघा 7 बिस्वा, 451 मिन रकबा एक बीघा 602 मिन रकबा 15 बिस्वा, 603 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, 604 मिन रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 605 रकबा 3 बिस्वा, 606 मिन रकबा 10 बिस्वा तथा 607 मिन रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा वाके रामबास बने है। हाल आराजीयात का आधा रकबा रेलवे विभाग में आवाप्त हो गया और अब 9 बीघा रकबा ही शेष बचा है जो विवादित आराजी है। वादग्रस्त आराजी में वादीगण के मृतक पिता बृजलाल व प्रतिवादीगण 1 ला. 5 के वालिद कन्हैया लीला भोलू का 1/6 हि. कब्जे काश्त खातेदारी का था यानि वादीगण के पिता बृजलाल का 1/6 भाग में निस्फ भाग यानि 1/12 हिस्सा था। वादीगण व प्रतिवादी सं0 33 को 1/12 हिस्सा विरासत में मिला है और वादी अपने 1/12 हिस्सा पर शमलात में काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है और आज भी मौके पर काबिज है। प्रतिवादीगण 1 ला. 5 राजस्व कर्मचारियों से मिलकर आराजी मुतनाजा का 1/6 भाग इन्द्राज अपने नाम दर्ज करवा लिया और मिन वादीगण के पिता बृजलाल का नाम हटवा दिया है। आराजी मुतनाजा हम वादीगण व प्रतिवादीगण के शामलात कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण का 1/6 भाग है और हम वादीगण का 1/6 भाग में निस्फ हिस्सा है लेकिन अब शमलात में काश्त करना सम्भव नहीं हो रहा है इसलिए उक्त आराजी को तकसीम किया जाना भी आवश्यक है। वादीगण ने अपने दावे में अनुतोष चाहा है कि विवादित आराजी के 1/6 हिस्से में से 1/12 हिस्सा का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे और उक्त भाग से प्रतिवादीगण का नाम कलमजन किया जावे तथा उक्त आराजी को तकसीम किया जावे एवं प्रतिवादीगण को हुक्मइन्तनाई दवामी से पाबन्द किया जावे कि वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें।

द्वितीय प्रकरण संख्या 1/196 बनवान रामजीलाल पुत्र लीला एवं अन्य बनाम गिर्राज प्रसाद पुत्र बृजलाल एवं अन्य में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं0 हाल 451 मिन रकबा 5 बिस्वा, 462 मिन रकबा एक बीघा 7 बिस्वा, 602 मिन रकबा 15 बिस्वा, 603

रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, 604 मिन रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 605 रकबा 3 बिस्वा, 606 मिन रकबा 10 बिस्वा, 607 मिन रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा कुल 9 बीघा वाके ग्राम रामबास में स्थित है जो आराजी का 17/36 भाग उपरोक्त दावे में विवादित है। शेष 19/36 भाग दीगर सह हिस्सेदारान् का है जिन हिस्सेदारान से वादीगण का कोई तनाजा नहीं है। प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से कोई सरोकार नहीं है। ना प्रतिवादीगण कि पिता का कभी कब्जा रहा न ही प्रतिवादीगण का कब्जा है।

विचारण न्यायालय द्वारा दावे एवं जवाब दावे के आधार पर विवाद्यको की संरचना की गई। राजस्व वाद संख्या 1/18 दायरा दिनांक 16.01.2002 धारा 88, 89, 188 एवं 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का है तथा राजस्व वाद संख्या 1/196 दायरा दिनांक 24.09.2003 धारा 188 के अन्तर्गत है। वाद संख्या 1/18 के साथ वाद संख्या 1/196 को दोनों पक्षों की सहमति पर कन्सोलिडेट किया गया विवाद्यको की संरचना इस प्रकार की गई–
तनकी संख्या 1 : आया वादीगण विवादित आराजी खसरा नं0 हाल 451 मिन, 462, 602 मिन, 603 मिन, 604 मिन, 605 मिन , 606 मिन, 607 मिन, किता 8 रकबा 9 बीघा वाके ग्राम रामबास के 1/6 भाग में से निस्फ भाग बाबत इस्तकराहक की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है।

.............वादीगण।

तनकी संख्या 2 : आया वादीगण उक्त आराजी बाबत प्रतिवादीगण को डिक्री हुक्मइन्तनाई दवामी से पाबन्द कराने के अधिकारी है।

.............वादीगण।

तनकी संख्या 3 : आया वादीगण विवादित आराजी में से अपने हिस्से को कानूनन तकसीम कराने के अधिकारी है।

.............वादीगण।

तनकी संख्या 4 : आया प्रेमचन्द, उदयभान, महेशचन्द, मु. रामदेई, कुशालचन्द, महेन्द्र, उपरोक्त दावा हाजा के आवश्यक फरीक मुकदमा है जिस कारण दावा नोन जाईन्डर आफ नेससरी पार्टीज के कारण खारिज होने योग्य है।

.............प्रतिवादीगण।

तनकी संख्या 5 : आया बन्दोबस्त इन्द्राज सही है तथा इन्द्राज रजिस्टर्ड बयनामा के आधार पर हुये है।

.............प्रतिवादीगण।

तनकी संख्या 6 : आया प्रतिवादीगण वादीगण को उक्त आराजी बाबत डिक्री हुक्मइन्तनाई दवामी से पाबन्द कराने के अधिकारी है।

.............प्रतिवादीगण।

तनकी संख्या 7 – दादरसी?

वाद में सुनवाई का अवसर साक्ष्यों की परीक्षा व प्रतिपरीक्षा करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह आदेश किया गया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 1/18 अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटी एक्ट खारिज किया जाता है तथा तथा द्वितीय उनवानी प्रकरण संख्या 1/196 अन्तर्गत धारा 188 आरटी एक्ट डिक्री किया जाकर प्रथम उनवानी प्रकरण के वादीगण गिर्राजप्रसाद वगैरा को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है ग्राम रामबास

82/

में स्थित खसरा नं0 451 मिन, 462 मिन, 602 मिन, 603, 604 मिन, 605, 606 मिन, 607 मिन कुल किता 8 रकबा 9 बीघा में प्रतिवादीगण के शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी तरह का व्यवधान पैदा नहीं करें तथा न ही किसी से करावें।

तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.10.2007 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट अभिभाषक का तर्क है कि लायक अदालत ने पक्षकारों एवं प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर सही तनकीयात कायम नहीं की है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर मात्र एक तनकी नं0 6 कायम की है। तहत अदालत द्वारा तनकी नं0 6 को गलत तरीके से रेस्पोडेण्ट के पक्ष में तय किया है। यह भी कथन किया कि तनकी नम्बर 01 को तय करने के निए जमाबंदी सम्वत् 2010 प्रदर्श–1 महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसके कॉलम 5 में विवादित आराजियात के संबंध में वादीगण के पिता स्व0 बृजलाल के हक के सम्बन्ध में तथा प्रतिवादीण के पिता स्व0 कन्हैयालाल के हक के सम्बन्ध में काफी महत्वपूर्ण है। तहत अदालत द्वारा उक्त जमाबन्दी सम्वत् 2010 इन्द्राज पर सही तरीके से न तो गौर किया न ही विश्लेषण। केवल जमाबंदीयों सम्वत् 2018–2022, सम्वत् 2028 एवं सम्वत् 2056 के आधार पर ही निष्कर्ष निकाल लिया कि विवादित आराजियात पर प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 के पिता स्व0 कन्हैया पुत्र मेडूराम की खातेदारी दर्ज है, इस कारण वादी तनकी संख्या 1 को साबित करने में असफल है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर तहत अदालत के निर्णय को निरस्त किया जावें।

जवाब में अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट का तर्क है कि विवादित आराजियात पैतृक सम्पत्ति, वसीयतनामा एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्राप्त हुई है। सम्वत् 2010, 2015 से 2018, 2018 से 2022 की जमाबंदी में भी अपीलांट का नाम दर्ज रेकॉर्ड नहीं है एवं न ही गिरदावरी उनके नाम की है। अपीलाण्ट का विवादित आराजी से कोई सरोकार नहीं है, और ना अपीलाण्ट का कब्जा है और ना कभी पहले रहा और ना अपीलांट के पिता बृजलाल का रहा। मगर अपीलांट लठ्ठबाज व्यक्ति है, जो जबरन लठ्ठ के बल पर विवादित आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। अपीलांट ने दिनांक 01.09.2003 को ऐलानियां धमकी दी कि उसने श्रीमान अदालत में कोई दावा कर रखा है, उस दावे की आड़ में वो विवादित आराजी में कार्यकाश्तकारी नहीं करने देगा, वो जबरन बेदखल करेगा, जिस बाबत अपीलांट को कोई हक और अधिकार नहीं है। जिस कारण अपीलांट को डिक्री हुक्मईम्तनाईदवामी से पाबंद फरमाया जाना जरूरी है।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1983 पेज सं0 240, 2007 पेज सं0 213, 1981 पेज सं0 560, 1977 पेज सं0 81 एवं 1982 पेज सं0 3 व 161 कानूनी दृष्टांत पेश किए।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपने कथन के समर्थन में आरबीजे(6) 1999 पेज संख्या 128 कानूनी दृष्टांत पेश किया।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन किया गया।

राजस्व वाद संख्या 1/18 दायरा दिनांक 16.01.2002 धारा 88, 89, 188 एवं 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का है तथा राजस्व वाद संख्या 1/196 को दोनो पक्षो

की सहमति पर कन्सोलिडेट किया गया विवादको की संरचना कर वाद का तनकीवार विवेचन किया गया।

वाद पत्र, जवाब दावा एवं अपील मीमों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इनका मुख्य आधार सम्वत् 2010 की जमाबंदी है जिसके कॉलम संख्या 5 में संबंधित इन्द्राज इस प्रकार है– ''कन्हैया हि0 1/6, बृजलाल हिस्सेदार राहिन कन्हैया पुत्र मेडू अहीर मूर्त्तहिन बिला हि0 सावलामू 1/6, कन्हैया, भोलू समान भाग 1/2, चौ0 हिस्सेदारान छाजू पुत्र सवा 1/8, मुरली पुत्र पांच्या 1/8 गैर मौरूसी शामताली बकाश्त कन्हैया,..........लीला भोलू 1/4 समान भाग घीसा 1 चौथाई, किशनलाल 8वां, नत्थी हि0 1/8 मूला हिस्सा 1/8 किरोडी हि0 1/8।''

तहत अदालत द्वारा अपने निर्णय का मुख्य आधार भी तनकी संख्या 1 '' आया वादीगण विवादित आराजी खसरा नं0 हाल 451 मिन, 462, 602 मिन, 603 मिन, 604 मिन, 605 मिन, 606 मिन, 607 मिन किता 8 रकबा 9 बीघा वाके ग्राम रामबास के 1/6 भाग में से निस्फ भाग बाबत इस्तकराहक की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है।''

तहत अदालत द्वारा राजस्व रिकॉर्ड, साक्ष्य, प्रतिपरीक्षा के आधार पर, 'संवत 2010 की जमाबंदी की प्रविष्टियों' के आधार पर, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 5(43) भूमि बुर्जुगानी नहीं होने, कब्जा या स्वत्व प्रमाणित नहीं होने के आधार पर वादी तनकी संख्या 01 को साबित करने में पूरी तरह असफल रहने से वादीगण के विरूद्ध निर्णित की है।

उपर्युक्तानुसार यद्यपि तहत अदालत द्वारा वाद में तनकी संख्या 01 में जमाबन्दी सम्वत् 2010 के अतिरिक्त तथ्यात्मक विवेचन तो सही किया परन्तु विधिक व्याख्या सही नहीं की तथापि निष्कर्ष सही प्रकट किया है। अतः उपर्युक्त सम्पूर्ण विवेचना के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विरचित तनकी संख्या 1 का सही विधिक निष्कर्ष दिया है तथा उसी के अनुसार शेष तनकियों के भी निष्कर्ष निकाले हैं।

अपीलाण्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रमाणित प्रति पटवारी फार्म नं. 27 शजरा मौजा रामबास संवत् 1998, प्रमाणित प्रति जमाबंदी मौजा रामबास संवत् 1994, प्रमाणित प्रति जमाबंदी मौजा रामबास संवत् 1990, प्रमाणित प्रति रजिस्टर दाखिल खारिज रहन मौजा रामबास तथा प्रमाणित प्रति जमाबंदी मौजा रामबास संवत् 1998 भी पेश की गई जिसको न्यायालयहाजा द्वारा 04.10.2018 को स्वीकार किया गया। हमारे द्वारा उक्त रेकॉर्ड्स का भी अवलोकन किया गया।

उक्त रेकॉर्ड के साथ अपीलाण्ट द्वारा सम्वत् 2028 से पूर्व का मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह प्रकट नहीं होता है कि सम्वत् 2010 की जमाबंदी के पूर्व खसरा नम्बर कौन–कौन से हैं।

नम्बर जमाबंदी 15/424 सम्वत् 1999 रजिस्टर दाखिला खारिज रहन मौजा रामतास निजामत रामगढ़ के कॉलम संख्या 9 लगायत 11 में ''इन्द्राज जो हाल में किया जायेगा'' में खाजू वगैरह हिस्सेदार 1/6 राहिन कन्हैया पुत्र मेडू अहीर साकिनदेह कुल किता 9 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा अंकित है। इस जमाबंदी के कॉलम संख्या 9 से 11 में अपीलाण्ट के पूर्वजों के नाम का अंकन कहीं भी नहीं है। संवत् 2010 की जमाबंदी खेवट संख्या 31/30 खतौनी संख्या 501 में भी उन्हीं आराजीयात का उल्लेख है, जिसका अंकन तफसील में पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है जो इस प्रकार है– ''कन्हैया हि0 1/6, बृजलाल हिस्सेदार राहिन कन्हैया पुत्र मेन्डू अहीर मूर्तहिन बिला हि0 सावलामू 1/6, कन्हैया,.........भोलू समान भाग 1/2, चौ0

हिस्सेदारान छाजू पुत्र सेवा 1/8, मुरली पुत्र पांच्या 1/8 गैर मौरूसी गामताली बकाश्त कन्हैया लीला भोलू 1/4 समान भाग घीसा 1 चौथाई, किशनलाल 8वां, नत्थी हि0 1/8 मूला हिस्सा 1/8 किरोडी हि0 1/8।''

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अस्तित्व में आने की दिनांक अर्थात् सम्वत् 2012 को आधार मानकर ही खातेदारी अधिकार प्रदान किए जाने का प्रावधान है। अपीलांट द्वारा केवल वर्ष 2010 की जमाबंदी पेश की गई है। वर्ष 2011 से 2014 के मध्य की जमाबंदी पत्रावली में पेश रेकॉर्ड नहीं है। वर्ष 2018 से 2028 की जमाबंदी में रेस्पोडेण्ट का नाम अंकन है। इसी आधार पर तहत अदालत द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 5(43), 15 एवं 19 के आधार पर सही व्याख्या कर तनकी का निर्णय किया है।

रेस्पोडेण्ट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत इस पर चस्पा होती है क्योंकि अपीलांट का विवादित आराजीयात पर रेकॉर्डेड् सम्वत् 2015 से ही कब्जा नहीं रहा है। अपीलांट द्वारा भी अपने अपील के अभिवचनों में यह अंकन किया है कि रेलवे भूमि अवाप्ति में मुआवजा भी रेस्पोडेण्टों को मिला है, यह भी रेस्पोडेण्ट के 'कब्जे' की ताइद करता है। इसलिए चस्पा होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के निर्णय दिनांक 31.10.2007 यथावत रखा जाता है। तदनुसार पर्चा–डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। अपील निर्णय दोनों पत्रावलियों में पृथक–पृथक शामिल किया जावे।

(हरि राम मीना) 13.3.2020
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर